

(14) मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि इस अपील में याचिका को खारिज करने की पुष्टि करने वाला निष्कर्ष केवल वर्तमान समय के लिए होगा। यदि बाद में नाबालिग माँ के साथ जाना चाहती है और यदि माँ द्वारा इस संबंध में याचिका दायर की जाती है, तो उपरोक्त निष्कर्ष उसके रास्ते में नहीं आएगा।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूँ कि नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष में बाधा डालने का कोई कारण नहीं है। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।

आरएनआर

माननीय एन. के. सोधी और एन. के. सूद, के समक्ष

मेसर्स नरेश कुमार और कंपनी और अन्य, -याचिकाकर्ता बनाम

भारत और अन्य का संघ-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15583

22 फरवरी, 2000

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-आयकर अधिनियम, 1961- धारा 206- सी-पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956-आर. एल. 1-याचिकाकर्ता एल-14ए लाइसेंस धारक-लाइसेंसधारकों को 1961 के अधिनियम की धारा 206सी(1) के तहत लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए जारी किया गया नोटिस जो शराब के खरीदार हैं-एल 14-ए लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से खरीद के बाद खुदरा में भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा अन्य शराब बेचते हैं-एल-14ए लाइसेंस धारकों के पक्ष में बिक्री दूसरी बिक्री है-क्या याचिकाकर्ता एल-14ए लाइसेंस धारक अधिनियम की धारा 206सी(1) के तहत 'खरीदारों' की परिभाषा के भीतर आते हैं-आयोजित, बिना किसी अवधि के 'खरीदार'-जवाब दिया।

ऐसा माना जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के S.206-C के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा मानव उपभोग के लिए मादक शराब बेचता है, उसे खरीदार द्वारा अपने खाते में देय राशि को डेबिट करते समय या खरीदार से नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से ऐसी राशि प्राप्त करते समय, खरीदार से स्रोत पर आयकर के रूप में देय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि एकत्र करने की आवश्यकता होती है। स्पष्टीकरण में 'खरीदार' शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नीलामी, निविदा या किसी अन्य तरीके से, तालिका में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तुओं या ऐसी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के अधिकार के माध्यम से किसी भी बिक्री में प्राप्त करता है, लेकिन इस तरह की बिक्री के अनुसरण में प्राप्त वस्तुओं की आगे की बिक्री में एक खरीदार शामिल नहीं है।

हमारे समक्ष याचिकाकर्ता जो खरीद द्वारा देशी शराब प्राप्त करने के लिए एल-14ए लाइसेंसधारी हैं और उनके द्वारा प्राप्त लाइसेंस के आधार पर उन्हें उन वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है और इसलिए वे स्पष्टीकरण के खंड (ए) में दी गई खरीदार की परिभाषा के पहले भाग के अंतर्गत आते हैं। फिर तीन खंड हैं जिनके अनुसार कुछ वर्गों के व्यक्तियों को धारा 206सी में परिभाषित खरीदारों की अवधारणा से बाहर रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति इन तीन खंडों में से किसी में भी आते हैं, वे परिभाषा के दायरे में नहीं आएं, भले ही वे पहले भाग के दायरे में हों। ऐसी वस्तुओं की आगे की बिक्री में खरीदार उन व्यक्तियों के वर्गों में से एक है जो स्पष्टीकरण के खंड (ए) के उपखंड (ii) के बाद के खरीदार होने के कारण परिभाषाओं से बाहर हैं। हमारे सामने याचिकाकर्ता निस्संदेह थोक विक्रेताओं से देशी शराब खरीदते हैं जो एल-13 लाइसेंसधारी हैं और बाद वाले ने उसे आसवन कारखानों (निर्माताओं) से खरीदा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बिक्री स्पष्टीकरण के खंड (ए) के निष्कासन खंड (ii) द्वारा कवर की गई दूसरी बिक्री है। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता अधिनियम के S.206C के अर्थ के भीतर खरीदार नहीं हैं। नतीजतन, प्रत्यर्था संख्या 4 को उनसे अधिनियम की धारा 206-सी के खंड (1) के तहत देय राशि एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयकर उपायुक्त ने अभिनिर्धारित किया है कि आबकारी और कराधान आयुक्त जिसने खुली नीलामी में याचिकाकर्ताओं को एल-14ए लाइसेंस जारी किए थे, वह अधिनियम की धारा 206-सी के अर्थ के भीतर विक्रेता है और इसलिए, स्रोत पर आयकर के रूप में लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत एकत्र करना आवश्यक था। हमारी राय है कि आयकर विभाग का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और अधिनियम की धारा 206-सी के प्रावधानों से समर्थित नहीं है। एक विक्रेता को तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तुओं की बिक्री पर ही स्रोत पर आयकर के रूप में राशि का 10 प्रतिशत एकत्र करना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि आबकारी और कराधान आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को एल-14ए लाइसेंस बेचे हैं, जिसके आधार पर वे खुदरा में देशी शराब बेचने का अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उन्होंने तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई सामान नहीं बेचा है। उसने देशी शराब नहीं बेची है। लाइसेंस केवल याचिकाकर्ताओं को तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का माल प्राप्त करने का अधिकार देते हैं और धारा 206-सी की उप-धारा (1) की आवश्यकता यह है कि देय राशि का 10 प्रतिशत विक्रेता द्वारा माल के खरीदार से एकत्र किया जाए, न कि माल प्राप्त करने के अधिकार के खरीदार से। चूंकि आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा कोई माल नहीं बेचा गया है, इसलिए अधिनियम के अर्थ में उसे 'विक्रेता' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(Para 9)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राकेश अग्रवाल के साथ अधिवक्ता मोहन जैन।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए राजेश बिंदल, अधिवक्ता के साथ आर. पी. साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से सी. एल. शर्मा, अधिवक्ता और अशोक अरोड़ा, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति एनके. सोधी,

(1) चौबीस रिट याचिकाओं के इस समूह में हमारे हस्तक्षेप के लिए जो सवाल उठते हैं, वे यह हैं कि क्या पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 (संक्षेप में नियम) के तहत जारी एल-14ए लाइसेंस धारक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी के अर्थ में एक 'खरीदार' है (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) और क्या आबकारी विभाग इस तरह के लाइसेंस की नीलामी करते समय एक 'विक्रेता' है और इस तरह से ऐसे लाइसेंसधारी से आयकर के रूप में लाइसेंस शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत एकत्र करना आवश्यक है? इन प्रश्नों को जन्म देने वाले तथ्य समान हैं और 1999 की याचिका संख्या 15583 के वकील अन्य मामलों को भी नियंत्रित करेंगे। सुविधा के लिए इस मामले से तथ्य लिए जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं के पास केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए जारी किए गए L-14A लाइसेंस हैं। अनुदान का तरीका और ऐसे लाइसेंसों को नवीनीकृत करने का अधिकार नियमों के नियम 1 में उल्लिखित है, जिसके अनुसार, एल-14ए ही नी को बातचीत की नीलामी के माध्यम से परिसर से बाहर मानव उपभोग के लिए देशी स्पिरिट के खुदरा विक्रेता को प्रदान किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को उस उद्देश्य के लिए आयोजित एक खुली नीलामी में लाइसेंस दिए गए थे जिसमें वे सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे। याचिकाकर्ताओं जैसे शराब ठेकेदारों द्वारा शराब बनाने के इस विशेषाधिकार के अनुदान के लिए राज्य मासिक आधार पर लाइसेंस शुल्क लेता है। यह लाइसेंस लाइसेंसधारक को आसवन कारखानों (निर्माताओं) या थोक विक्रेताओं से देशी शराब खरीदने में सक्षम बनाता है, जिनके पास देशी शराब के थोक बिक्री के लिए एल-13 लाइसेंस भी है। यह पक्षकारों का आम मामला है कि हमसे पहले याचिकाकर्ता थोक विक्रेताओं (एल-13 लाइसेंस) से देशी शराब खरीद रहे थे। देशी शराब की खरीद से पहले, सरकारी खजाने में उत्पाद शुल्क जमा करने के बाद एक निश्चित मात्रा के लिए उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। फिर, इस परमिट के प्रस्तुत होने पर, थोक विक्रेता मूल्य लेने के

बाद बेचते हैं और जारी करने की अनुमति देते हैं। एल-14ए लाइसेंसों को शराब की बिक्री, जैसे कि याचिकाकर्ताओं को दुकान पर आगे की बिक्री के लिए थोक विक्रेता आसवन कारखानों से देशी शराब खरीदते हैं और बिना किसी सौदेबाजी या बातचीत के पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर एल-14ए लाइसेंसों को बेचते हैं। एल-14ए लाइसेंस तब देशी शराब को खुदरा रूप से अपने विक्रेताओं पर बेचते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता थोक विक्रेताओं को देशी शराब की कीमत का भुगतान करते हैं जिसमें शराब और पात्र की कीमत शामिल है। चूंकि आबकारी और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ताओं को एल-14ए लाइसेंस देते समय उन्हें अधिनियम की धारा 206सी के अर्थ के भीतर खरीदार नहीं माना और न ही उन्होंने खुद को किसी भी सामान का विक्रेता माना, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ताओं से 1 अप्रैल, 1999 से 30 जून, 1999 की अवधि के लिए उनके द्वारा जमा किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत स्रोत पर आयकर के रूप में नहीं लिया। आयकर उपायुक्त, सर्कल-1 (2) (टी. डी. एस.), चंडीगढ़ का हालांकि यह विचार था कि याचिकाकर्ताओं ने नीलामी में अपना एल-14ए लाइसेंस प्राप्त करते समय भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा अन्य मानव उपभोग के लिए मादक शराब प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया था और इसलिए वे अधिनियम की धारा 206सी के अर्थ में खरीदार थे और उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त जिन्होंने उन लाइसेंसों को मंजूरी दी थी, वे विक्रेता थे। अधिनियम की धारा 206 सी के संदर्भ में प्रत्येक विक्रेता को बिक्री के समय देय राशि का 10 प्रतिशत स्रोत पर आयकर के रूप में एकत्र करना आवश्यक है। लेकिन चूंकि आबकारी और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ ने उक्त राशि एकत्र नहीं की थी, इसलिए आयकर उपायुक्त ने उन्हें नोटिस जारी किया और 15 अक्टूबर, 1999 के एक विस्तृत आदेश द्वारा उन्हें 5 लाख रुपये का आयकर देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। अधिनियम की धारा 206सी के खंड (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के श्रेय के लिए 97,09,050। आयकर उपायुक्त ने कहा कि याचिकाकर्ताओं जैसे एल-14ए लाइसेंसधारी जो अधिनियम की धारा 206सी की उप धारा (1) में उल्लिखित निर्दिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, वे खरीदार की परिभाषा के दायरे में आते हैं और हर महीने उनके द्वारा जमा किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि पर आयकर के रूप में 10 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा, यह माना गया कि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त विक्रेता थे। आयकर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर, उप आबकारी और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 1 अप्रैल, 1999 से 30 जून, 1999 की अवधि के लिए अपने देश की शराब की दुकानों के संबंध में आयकर के रूप में जमा किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता है। उन्हें आगे भविष्य में देय मासिक लाइसेंस शुल्क के साथ अधिनियम की धारा 206सी के तहत स्रोत पर 10 प्रतिशत आयकर जमा करने का निर्देश दिया गया। यह इन नोटिसों के खिलाफ है कि वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है।

(3) प्रासंगिक भाग!(इन मामलों में संबंधित अधिनियम की धारा 206सीई को संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“206ग (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, उक्त खरीदार से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय खरीदार के खाते में देय राशि को नकद में या किसी अन्य तरीके से चेक या ड्राफ्ट जारी करके, इनमें से जो भी पहले हो, डेबिट करते समय, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी सामान के खरीदार से, उस सूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि, आय-कर के रूप में, एकत्र करेगा।

बशर्ते कि

(2) उप-धारा (1) के तहत संग्रह द्वारा कर वसूल करने की शक्ति वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत कोई भी राशि एकत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति सात दिनों के भीतर इस तरह से एकत्र की गई राशि का भुगतान केंद्र सरकार के क्रेडिट में या बोर्ड के निर्देश के अनुसार करेगा।

(4) .XXXXXXXX -

(5) एक्सएक्सxX एक्सएक्सXXX
तालिका

श्री. नहीं।	वस्तुओं की प्रकृति	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	मानव उपभोग के लिए मादक शराब (भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा) और तेंदू के पत्ते	दस प्रतिशत
((ख)	वन पट्टे के तहत प्राप्त लकड़ी	पंद्रह प्रतिशत
(iii)	वन पट्टे के अलावा किसी भी माध्यम से प्राप्त लकड़ी	पाँच प्रतिशत
((iv)	कोई अन्य वन उत्पाद जो लकड़ी या तेंदू के पत्ते नहीं हैं	पंद्रह प्रतिशत

(5ए) XXXXXXXX

(58) XXXXXXXX

(5(C) XXXXXXXX

- (6) कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर एकत्र करने में विफल रहता है, ऐसी विफलता के बावजूद, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) उप-धारा (6) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि विक्रेता कर एकत्र नहीं करता है या कर एकत्र करने के बाद इस धारा के तहत आवश्यकतानुसार इसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस तारीख से, जिस दिन ऐसा कर संग्रहणीय था, उस तारीख तक, जिस दिन कर वास्तव में भुगतान किया गया था, उस कर की राशि पर दो प्रतिशत प्रति माह या उसके हिस्से की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) से (11) XXXXXXXX

व्याख्या:— इस खंड के प्रयोजन के लिए:

- (a) “‘क्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी बिक्री में, नीलामी, निविदा या किसी अन्य तरीके से, उप-धारा (1) में तालिका में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तुओं को प्राप्त करता है या ऐसी कोई वस्तु प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है लेकिन इसमें शामिल नहीं है -
- (i) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी।
- (ii) ऐसी बिक्री के अनुसरण में प्राप्त ऐसी वस्तुओं की आगे की बिक्री में एक खरीदार, या
- (iii) एक खरीदार जहां उसके द्वारा नीलामी के माध्यम से माल प्राप्त नहीं किया जाता है और जहां खरीदार द्वारा बेचे जाने वाले ऐसे सामान का बिक्री मूल्य किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत तय किया जाता है;
- (b) “विक्रेता” से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या निगम या केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित प्राधिकरण, या कोई कंपनी, या फर्म या सहकारी समिति अभिप्रेत है।”

(4) भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा मानव उपभोग के लिए मादक शराब अधिनियम की धारा 206सी में निर्दिष्ट तालिका में निर्दिष्ट वस्तुओं में से एक है और इसलिए, यह प्रावधान ऐसे सामानों पर लागू होगा।

(5) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब बेचता है

भारतीय निर्मित विदेशी शराब, खरीदार द्वारा अपने खाते में देय राशि को डेबिट करते समय या खरीदार से नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, खरीदार से स्रोत पर आयकर के रूप में खरीदार द्वारा देय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि एकत्र करने के लिए आवश्यक है। स्पष्टीकरण में ‘खरीदार’ शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नीलामी, निविदा या किसी अन्य तरीके से, तालिका में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तुओं या ऐसी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के अधिकार के माध्यम से किसी भी बिक्री में प्राप्त करता है, लेकिन इस तरह की बिक्री के अनुसरण में प्राप्त वस्तुओं की आगे की

7
I.L.R. Punjab and Haryana 2000 (2)
बिक्री में एक खरीदार शामिल नहीं है। हमारे समक्ष याचिकाकर्ता जो खरीद द्वारा देशी शराब प्राप्त करने के लिए एल-14ए लाइसेंसधारी हैं और उनके द्वारा प्राप्त लाइसेंस के आधार पर उन्हें उन वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है और इसलिए वे स्पष्टीकरण के खंड (ए) में दी गई खरीदार की परिभाषा के पहले भाग के अंतर्गत आते हैं। फिर तीन खंड हैं जिनके अनुसार व्यक्तियों के कुछ वर्गों को धारा 206सी में परिभाषित खरीदारों की अवधारणा से बाहर रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति इन तीन खंडों में से किसी में भी आते हैं, वे परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे, भले ही वे पहले भाग के दायरे में हों। ऐसी वस्तुओं की आगे की बिक्री में खरीदार उन व्यक्तियों के वर्गों में से एक है जो स्पष्टीकरण के खंड (ए) के उपखंड (ii) के बाद के खरीदार होने के कारण परिभाषा से बाहर हैं। हमारे सामने याचिकाकर्ता निस्संदेह थोक विक्रेताओं से देशी शराब खरीदते हैं जो एल-13 लाइसेंसधारी हैं और बाद वाले ने उसे आसवन कारखानों (निर्माताओं) से खरीदा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बिक्री स्पष्टीकरण के खंड (ए) के निष्कासन खंड (ii) द्वारा कवर की गई दूसरी बिक्री है। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 206सी के अर्थ के भीतर खरीदार नहीं हैं। नतीजतन, प्रत्यर्थी संख्या 4 को उनसे अधिनियम की धारा 206-सी के खंड (1) के तहत देय राशि एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

(6) श्री साहनी ने 11वें खंड में कहा कि स्पष्टीकरण में दो प्रकार के खरीदारों की बात की गई है (i) वे जो सामान खरीदते हैं और उनके साथ सौदा करते हैं (ii) वे जो सामान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं और विद्वान वकील के अनुसार स्पष्टीकरण के खंड (ए) में निर्दिष्ट बहिष्करण केवल (i) केवल उन खरीदारों का उल्लेख करता है जो सामान खरीदते हैं और उनके साथ सौदा करते हैं और इसलिए, जिन याचिकाकर्ताओं ने आबकारी विभाग द्वारा उन्हें जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर सामान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, वे स्पष्टीकरण के खंड (ए) के अर्थ के भीतर खरीदार हैं और बाहर नहीं हैं। विद्वान वकील ने बिहार राज्य में पटना उच्च न्यायालय के एक *निर्णय और एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त और अन्य (1) पर भरोसा* रखा है। हम विभाग के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। स्पष्टीकरण में खंड (ए) की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और बहिष्करण संदर्भित हैं।

इसमें देशी शराब के बाद के खरीदारों को मुख्य प्रावधान से बाहर रखा गया है। विभाग द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने एल-14ए लाइसेंस के आधार पर थोक विक्रेताओं से देशी शराब खरीदी जो एल-13 लाइसेंसधारी हैं।

(7) अब बिहार राज्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आते हैं। यह सच है कि बिहार राज्य को अधिनियम की धारा 44एसी और 206सी के अर्थ के भीतर मानव उपभोग के लिए मादक शराब का विक्रेता माना गया था, लेकिन हमारी राय में, यह निर्णय विभाग के लिए कोई मददगार नहीं है। अधिनियम की धारा 44 ए. सी. और 206 सी के प्रावधान, जो उस समय थे, विद्वान न्यायाधीशों के विचाराधीन थे, जो प्रावधान अधिनियम की धारा 206 सी से भौतिक रूप से अलग हैं, जो हमारे विचाराधीन है। उसी उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने रामजी प्रसाद साहू और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2) अधिनियम की धारा 206सी के प्रावधान, जैसा कि वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से लागू किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा देय उत्पाद शुल्क का 15 प्रतिशत, जिसमें देशी शराब की खरीद के कारण, अधिनियम की धारा 206सी के प्रावधानों के तहत आयकर के रूप में एकत्र नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बिहार राज्य के मामले (उपरोक्त) में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि निर्णय अधिनियम की धारा 44एसी और 206सी के प्रावधानों की व्याख्या कर रहा था जैसा कि वे तब थे जो भौतिक रूप से अलग थे। हम रामजी प्रसाद साहू के मामले (उपरोक्त) में व्यक्त विचार से सहमत हैं।

(8) इस पहलू पर निष्कर्ष निकालने से पहले, हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 15 सितंबर, 1993 को जारी परिपत्र संख्या 660 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खरीदार के संबंध में अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पर लागू नहीं होंगे और किसी अन्य खरीदार को भुगतान करने के लिए जो ऐसी वस्तुओं की दूसरी या बाद की बिक्री पर उक्त माल प्राप्त करता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रावधान केवल इस बिंदु पर लागू होंगे। ऐसी वस्तुओं की पहली बिक्री। याचिकाकर्ता जो दूसरी या बाद की बिक्री पर देशी शराब खरीदते हैं, उन्हें इस प्रकार बाहर रखा जाता है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वे उन वस्तुओं की आगे की बिक्री में खरीदार हैं और खंड (ए) के खंड (ii) द्वारा अपवर्जित हैं। स्पष्टीकरण, पहली बिक्री-आसवन कारखानों (निर्माताओं) द्वारा थोक विक्रेताओं को की गई बिक्री।

(9) इस मामले का एक और पहलू भी है। आयकर उपायुक्त ने कहा है कि जिस आबकारी और कराधान आयुक्त ने खुली नीलामी में याचिकाकर्ताओं को एल-14ए लाइसेंस जारी किए थे, वह अधिनियम की धारा 206-सी के अर्थ में विक्रेता है और इसलिए उसे लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत आय के रूप में एकत्र करना आवश्यक था।

स्रोत पर कर। हमारी राय है कि आयकर विभाग का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और अधिनियम की धारा 206-सी के प्रावधानों से समर्थित नहीं है। एक विक्रेता को तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तुओं की बिक्री पर ही स्रोत पर आयकर के रूप में राशि का 10 प्रतिशत एकत्र करना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि आबकारी और कराधान आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को एल-14ए लाइसेंस बेचे हैं, जिसके आधार पर वे खुदरा में देशी शराब बेचने का अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उन्होंने तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई सामान नहीं बेचा है। उसने देशी शराब नहीं बेची है। लाइसेंस केवल याचिकाकर्ताओं को तालिका के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का सामान प्राप्त करने का अधिकार देते हैं और धारा 206-सी की उप-धारा (1) की आवश्यकता यह है कि देय राशि का 10 प्रतिशत विक्रेता द्वारा माल के खरीदार से एकत्र किया जाए, न कि माल प्राप्त करने के अधिकार के खरीदार से। चूंकि आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा कोई माल नहीं बेचा गया है, इसलिए अधिनियम के अर्थ में उसे 'विक्रेता' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(10) हम अब अन्य कोणों से मामले की जांच कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1) में यह अपेक्षा की गई है कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब के अलावा मानव उपभोग के लिए मादक शराब का प्रत्येक विक्रेता खरीदार से क्रेता के खाते में राशि डेबिट करते समय देय राशि का 10 प्रतिशत या ऐसी कोई राशि नकद में या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करते समय एकत्र करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो संग्रहणीय है वह 'देय राशि' का 10 प्रतिशत है। देय राशि वह राशि है जो खरीदार के खाते में राशि को डेबिट करते समय या उससे नकद या चेक या ड्राफ्ट या उसे बेचे गए माल के लिए किसी अन्य तरीके से धन प्राप्त करते समय देय होती है। यह राशि, हमारी राय में, वह खरीद मूल्य है जो खरीदार बेचे गए सामान के लिए विक्रेता को देता है और हमारे सामने आने वाले मामलों में वह राशि जो याचिकाकर्ता थोक विक्रेताओं को उत्पाद शुल्क जमा करके उत्पाद शुल्क विभाग से परमिट प्राप्त करने के बाद देते हैं। देय राशि केवल वही कीमत होगी जो खरीदार विक्रेता को देगा। यह तर्क के किसी भी विस्तार में लाइसेंस शुल्क शामिल नहीं हो सकता है जो खरीदार को उसके द्वारा प्राप्त लाइसेंस के लिए भुगतान करना पड़ता है। इस शुल्क का भुगतान थोक विक्रेताओं से देशी शराब खरीदते समय भुगतान की जाने वाली राशि से पूरी तरह से असंबंधित है। भले ही एल-14ए लाइसेंसधारी किसी भी देशी शराब की खरीद नहीं करता है, फिर भी उसे विभाग को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और यह सुझाव देना बेतुका होगा कि आयकर अभी भी वसूल किया जाना चाहिए। इसलिए, लाइसेंस शुल्क देशी शराब की बिक्री के समय 'देय राशि' का हिस्सा नहीं है। इस मामले को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिनियम की धारा 206सी में 'देय राशि' में लाइसेंस शुल्क शामिल नहीं है जो एक लाइसेंसधारी द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जाना है। डिप्टी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रान्च बिश्ना और एक अन्य (वी. एम. जैन, जे.)

आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 206सी के तहत देय राशि में लाइसेंस शुल्क को शामिल करने में गलती की थी और आबकारी और कराधान आयुक्त को याचिकाकर्ताओं की तरह एल-14ए लाइसेंसधारियों से लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत काटने की आवश्यकता नहीं थी और यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता उस राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

(11) पांचवां (परिणामस्वरूप, लिखित याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिसों में उन्हें लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है क्योंकि आयकर रद्द कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश

नहीं है।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

इससे पहले वी. एम. जैन, जे.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, -याचिकाकर्ता
बनाम

बिस्ना और एक और, -उत्तरदाता
1999 का सी. आर. सं. 5266
29 फरवरी, 2000

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870- अनुसूची I, अनुच्छेद I- विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया, बैंक का मुकदमा लागत और भविष्य के ब्याज के साथ 6 प्रतिशत पी. ए.-अपील में, बैंक भविष्य के ब्याज का दावा 15 प्रतिशत पी. ए.- क्या अपीलीय न्यायालय ने बैंक को दावा की गई अतिरिक्त राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने में न्यायसंगत ठहराया- हाँ।

अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी-अपीलार्थी-बैंक को ब्याज के प्रति अपील में दावा की गई राशि के अंतर पर, अर्थात् दावा की गई राशि और ब्याज के रूप में दी गई राशि के बीच के अंतर पर, अपील में अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित था। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और सीमित रूप से खारिज कर दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी-बैंक को भविष्य/आगे के ब्याज के माध्यम से बैंक द्वारा दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी गणना याचिका दायर करने की तारीख तक की जाएगी।

(पैरा 19 और 20)

याचिकाकर्ता की ओर से आई. पी. एस. दोआबिया, अधिवक्ता।

न्याय

वी. एम. जैन जे.

(1) यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित 29 जनवरी, 1999 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है।